

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

अ.सू.सं.- 5/विविध-14-22/2014:-

राँची, दिनांक:-

अधिसूचना

जल संसाधन विभाग, राँची के अधीन निम्नलिखित आय-व्ययक शीर्षों का झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-148 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को अगले आदेश तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

- (i) मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-लघु शीर्ष-090- सचिवालय उप शीर्ष-09, जल संसाधन विभाग।
 - (ii) मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001, निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष-01 मुख्यालय सचिवालय स्थापना।
2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-5/विविध-14-22/2014:-

राँची दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-5/विविध-14-22/2014:-

491

राँची दिनांक:- 01/02/19

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/बजट शाखा, वित्त विभाग, राँची/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, धुर्वा, राँची/शाखा प्रबंधन, भारतीय स्टेट बैंक नेपाल हाउस, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, राँची/ श्री सुदर्शन प्रसाद पाण्डेय, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/विभागीय मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/लेखा शाखा/रोकड़पाल/सभी कर्मियों/वेब इन्फोमेशन मैनेजर को विभागीय पोर्टल पर सूचना UPLOAD करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।